न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 151 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00184

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थीः—

1. घीसाराम पुत्र पनाराम
2. वरदाराम पुत्र केसा
3. हीरा पुत्र केसा
4. पुखराज पुत्र केसा
5. आसाराम पुत्र केसा
6. राजाराम पुत्र केसा
7. ललित कुमार पुत्र रूपाराम
8. पोनीदेवी पुत्री रूपाराम
9. चोथीदेवी पुत्री रूपाराम
10. गंगादेवी पुत्री रूपाराम
11. अंसीबाई पत्नी रूपाराम जातिगण सीरवी निवासीगण किशनपुरा

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

—:: आदेश ::—

दिनांक 12/12/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम किशनपुरा तहसील रानी के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.3600 हैक्टेयर किस्म जा0दो0, चा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज घीसा पुत्र पना, केसा, माला पि0 गोमा, भूरा पुत्र नवला को नियमन होने के कारण जरिये नामान्तरकरण संख्या 129 के राजस्व रेकर्ड में इनका नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म नाडी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम किशनपुरा के नामान्तरकरण संख्या 129 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अति० जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रकिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप नियमन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रानी ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम किशनपुरा तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 99 रकबा 0.3600 हेक्टेयर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 33 नाडी है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा नियमन करने से नामान्तरकरण संख्या 129 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 एवं उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 33 की किस्म नाडी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर नाडी दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी के नियमन आदेश क्रमांक/राज./739 दिनांक 25.06.1974 एवं उसकी पालना में दायर ग्राम किशनपुरा तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 129 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति.जिला कलेक्टर,पाली